B - 3 & 4
L - 19
Polity

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

परमादेश :-

- परमादेश का शाब्दिक आशय है उच्चतर अधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश। यह आदेश न्यायलय के द्वारा सार्वजनिक पद पर बैठे पदाधिकारियों के लिए दिया जाता है क्योंकि इन पदाधिकारियों के सार्वजनिक दायित्व हैं जिसे पूर्ण न किया जाए तो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा बंगाल के डी.जी.पी को परमादेश दिया गया और दिल्ली स्वास्थ्य सचिव को भी न्यायालय ने परमादेश दिया।

- परमादेश किसी विशेष पदाधिकारी को दिया जाता है जो उस कार्य के लिए उत्तरदायी है।

- परम्परागत रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा व्यक्ति की शिकायत पर परमादेश दिया जाता था। लेकिन 1990 के बाद उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान से भी पदाधिकारियों को परमादेश देने लगा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा कई घटनाओं में एक बार आदेश नहीं अपितु बार-बार आदेश दिया गया, जिसे सतत परमादेश का विचार कहा जाता है।

- क्योंकि हाल की घटनाओं में न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों में SIT का गठन किया गया है। (Special Investigation Team)
- परमादेश निम्नलिखित पदाधिकारियों को नहीं दिया जायेगा यद्यपि वे सार्वजनिक पद पर बैठे हैं-

(i) राष्ट्रपति

(ii) राज्यपाल

- संवैधानिक रूप में न्यायालय के द्वारा स्पीकर को परमादेश नहीं दिया जा सकता लेकिन व्यवहारिक रूप में न्यायालय स्पीकर को भी परमादेश दे रहा है।
- न्यायालय किसी भी राज्य की विधानसभा या संसद को आरक्षण देने के लिए आदेश नहीं दे सकता और न्यायालय सेना को परमादेश देने से बचता है। क्योंकि इससे सेना का अनुशासन भंग होगा।

(iii) अधिकार पृच्छा :-

- संविधान के अनुसार सार्वजनिक पद के लिए नियुक्ति और रोजगार में समानता स्थापित की जा सकती है इसलिए यह कहा गया कि यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति किसी सरकारी पद या सार्वजनिक पद पर बैठता है तो उसके विरुद्ध अधिकार पृच्छा की याचिका लाई जा सकती है।

• अधिकार पृच्छा का शाब्दिक अर्थ है किस हैसियत से।

• निजी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अधिकार पृच्छा जारी नहीं की जायेगी।

• अधिकार पृच्छा जारी करते हुए हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक को सेवा विस्तार देना असंवैधानिक है।

उत्प्रेषण और प्रतिषेध :-

• उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है और आजकल इसका प्रयोग न्यायालय के अलावा प्रशासनिक संस्थाओं और अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध भी किया जाता है।

• प्रतिषेध के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले किसी मामले को रोकने का आदेश दिया जाता है क्योंकि न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार या प्रक्रिया की अवहेलना कर रहा है।

• यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया है तो उस समय उत्प्रेषण का प्रयोग किया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।

मूल अधिकार का क्रियान्वयन → अनुच्छेद-32

- डॉ॰ अम्बेडकर के द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय और आत्मा है क्योंकि अनुच्छेद 32 के माध्यम से ही मूल अधिकारों को वादयोग्य और बाध्यकारी बनाया जा सकता है। चीनी संविधान में मूलअधिकारों का व्यापक उल्लेख है लेकिन संवैधानिक उपचारों का कोई प्रावधान नही है।

- अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उपलब्ध संवैधानिक उपचारों के अधिकार संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल हैं और इसमें यह भी उल्लेखित है कि संसद विधि निर्माण के द्वारा किसी अन्य न्यायालय को भी यह शक्ति दे सकता है लेकिन संसद ने अभी तक ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया है।

- संविधान में संवैधानिक उपचार प्राप्त करने की किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 145 में यह उल्लिखित हैं कि उच्चतम न्यायालय अपनी प्रक्रिया का स्वयं निर्माण करेगा जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा ब्रिटेन की वादी-प्रतिवादी न्याय की प्रणाली को अपनाया गया है। जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता है।

• अधिकारों की रक्षा के लिए वकील और पैसे की आवश्यकता है।

• अधिकारों की प्राप्ति में विलंब भी हो सकती है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR